

बेनीडीह केकेसी साइडिंग गोलीकांड

चार साल बाद एनएचआरसी के डीआइजी करेंगे जांच

□ आयोग ने सीआइएसएफ जवानों को भी किया तलब

बाघमारा. बीसीसीएल ब्लॉक-टू क्षेत्र के बहुचर्चित बेनीडीह केकेसी मेन साइडिंग गोलीकांड की जांच चार साल बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम करेगी. इसके लिए आयोग की टीम 22 से 25 सितंबर के बीच बाघमारा थाना पहुंचेगी.

सीआइएसएफ जवानों को भी जांच में सहयोग के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार आयोग की ओर से जांच के लिए डीआइजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम के पहुंचने की बात कही गयी है. ज्ञात हो कि 19 नवंबर 2022 की रात बेनीडीह साइडिंग क्षेत्र में सीआइएसएफ की क्विक रिस्पॉंस टीम और कथित कोयला चोरों

के बीच गोलीबारी की घटना घटी थी. इसमें चार लोगों की मौत हो गयी थी और दो लोग घायल हुए थे. तब रिपोर्टों में भी सीआइएसएफ और कोयला चोरों के बीच टकराव के बाद फायरिंग की जानकारी सामने आयी थी. गोलीबारी में प्रीतम चौहान, शहजादा खान उर्फ जलाउद्दीन, अताउल्ला अंसारी (तीनों बाघमारा थाना क्षेत्र) और शमीम अंसारी

(हरिहरपुर गोमो थाना) की मौत हुई थी. जबकि बादल रवानी और रमेश रविदास (दोनों डुमरा) घायल हुए थे. घटना के बाद गोलीबारी की परिस्थितियों व सीआइएसएफ की कार्रवाई को लेकर अलग-अलग सवाल उठाये गये थे. सीआइएसएफ ने जवानों पर हमला होने के बाद आत्मरक्षा में फायरिंग की बात कही थी.

Source: <https://muslimmirror.com/mumbai-police-pressure-venues-disrupt-private-screening-in-solidarity-with-umar-khalid-and-other-political-prisoners/>

Mumbai Police Pressure Venues, Disrupt Private Screening in Solidarity with Umar Khalid and Other Political Prisoners

Mumbai: A private film screening organised in solidarity with jailed activists Umar Khalid, Sharjeel Imam and other political prisoners was allegedly disrupted after Mumbai Police pressured venues to cancel the event, according to two individual organisers.

Prashant Pundir and Shrishti Khanna, who organised the screening as individuals, alleged that plainclothes police personnel visited venues associated with the proposed event, questioned venue managers and created pressure that ultimately resulted in the cancellation of the screening.

The organisers said the developments raise serious concerns over police surveillance, intimidation of private venues and the shrinking space for peaceful political expression in Mumbai.

Venue allegedly pressured to cancel screening

According to the organisers, their initial venue became unavailable amid concerns over possible police and legal pressure. They subsequently found another venue, confirmed the booking with its manager and made arrangements for the private screening.

They said they left the venue at around 6:30 pm on September 18 after receiving confirmation from the manager. Around 7 pm, however, people in civilian clothes allegedly arrived at the venue and questioned the manager. The organisers said the individuals pressured him to cancel the screening.

They further alleged that the manager subsequently received a call from the Superintendent of Police, following which a police vehicle arrived at the venue.

The manager eventually cancelled the screening and contacted the organisers in distress, according to their account.

The organisers stressed that the event was a private screening at a paid venue, with participants registered in advance, and was neither a public protest nor a demonstration.

Police allegedly visit another venue after cancellation

The organisers said they had publicly announced that the screening had been cancelled. However, they alleged that police activity continued the following day.

On September 19, plainclothes personnel allegedly visited an earlier venue in Bandra that the organisers had approached while searching for a location. According to them, the screening was never scheduled to take place at that venue.

The organisers alleged that the personnel questioned the person in charge and appeared to possess information about the proposed screening.

More significantly, they raised questions over how information shared privately within their organising group and among registered participants could have reached the police.

The organisers said plainclothes personnel were subsequently seen around the venue for several hours, which they described as creating an atmosphere of surveillance and intimidation.

Questions over private communications

The organisers have specifically questioned the alleged access to their private communications.

"How did the police obtain information that had only been shared in a private organising group?" they asked.

They said they were documenting the entire sequence, including communications with venues, the cancellation of

the screening, the presence of police personnel and the alleged circulation of information that had been shared privately.

If established, such access to private communications could raise broader questions concerning privacy, surveillance and the monitoring of peaceful political activity. The circumstances under which the police allegedly obtained the information, however, remain to be independently established.

Complaints sent to human rights bodies

Following the September 18 incident, Pundir and Khanna said they formally approached the Mumbai Police Commissioner, National Human Rights Commission, Maharashtra State Human Rights Commission, PUCL Maharashtra and Free Speech Collective.

They said their representation to the Mumbai Police Commissioner was subsequently forwarded to the Joint Commissioner of Police, Law & Order, Mumbai, for further action or inquiry.

The organisers said they were releasing details of the incidents because they believed the developments raised wider questions about freedom of expression and peaceful assembly.

‘This is about the right to peaceful expression’

The two organisers said their intention was simply to organise a private film screening and discussion concerning political prisoners and civil liberties.

They maintained that the event was to take place inside a privately booked venue and that there was no call for violence or public disorder.

They said the repeated appearance of police personnel at venues for connected with the cancelled screening was “deeply concerning” and called on journalists, lawyers, civil society organisations and human-rights defenders to document and scrutinise the events.

The allegations made by the organisers could not be independently verified from the material available. Mumbai Police’s response to the allegations was not included in their statement.

Pundir and Khanna reiterated that they were acting as two individuals and were not representing or affiliated with any organisation.

Source: <https://punjab.punjabkesari.in/punjab/news/nhrc-monitor-visited-all-three-jails-in-ludhiana-2381567>

लुधियाना की जेलों में Action! NHRC मॉनिटर ने किया दौरा, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश

लुधियाना (स्यल) : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के विशेष मॉनिटर बाल कृष्ण गोयल ने ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल, ब्रौस्टल जेल व महिला जेल का विशेष दौरा किया। इस अवसर पर उनके साथ जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी वरिंदर सिंह टिवाना, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी रश्मि के अलावा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

विशेष मॉनिटर बाल कृष्ण गोयल ने जेलों के दौरे के दौरान खान-पान की सुविधाओं की समीक्षा की और तीनों जेलों के अधीक्षकों (सुपरिंटेंडेंट) के साथ बैठक कर कैदियों की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जेलों में जितने भी सुधार की आवश्यकता है, उन्हें किया जाए। साथ ही खाने की गुणवत्ता (क्वालिटी) को और बेहतर बनाया जाए। इसके अतिरिक्त कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) के कोर्स विशेष रूप से ब्रौस्टल जेल के बच्चों को अनिवार्य रूप से करवाए जाएं।

उन्होंने कहा कि महिला कैदियों को अचार बनाने, मेहंदी लगाने व अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाएं, ताकि जेल से बाहर जाने के बाद वे अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के काबिल बन सकें। उन्होंने जेल कैदियों से मुलाकात या उनकी जमानत में देरी होने आदि से संबंधित समस्याओं के बारे में भी बातचीत की और जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि इन छोटी-मोटी परेशानियों का तुरंत निपटारा किया जाए।

विशेष मॉनिटर बाल कृष्ण गोयल ने जेल प्रशासन को सुझाव दिया कि प्रत्येक महीने एक शिकायत रजिस्टर जेल के अंदर भेजा जाए और कैदियों द्वारा अपनी शिकायतें या सामने आ रही समस्याओं को रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट कुलवंत सिंह सिद्धू, ब्रौस्टल जेल के सुपरिंटेंडेंट गुरप्रीत सिंह तथा महिला जेल के सुपरिंटेंडेंट दलबीर सिंह काहलों उपस्थित थे।

Source: <https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/dhanbad/nhr-dig-level-officer-investigation-after-four-years>

बेनीडीह केकेसी साइडिंग गोलीकांड: 4 साल बाद जांच करने पहुंचेगी NHRC की टीम, CISF जवानों को उपस्थित रहने का निर्देश

धनबाद के बहुचर्चित बेनीडीह केकेसी मेन साइडिंग गोलीकांड की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम करेगी. चार साल बाद, आयोग की टीम 22 से 25 सितंबर के बीच बाघमारा पहुंचकर मामले की पड़ताल करेगी. CISF जवानों को भी जांच में सहयोग के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. धनबाद. बीसीसीएल ब्लॉक-दो क्षेत्र के बहुचर्चित बेनीडीह केकेसी मेन साइडिंग गोलीकांड की जांच अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम करेगी. आयोग की जांच टीम 22 से 25 सितंबर के बीच बाघमारा थाना पहुंचेगी और वर्ष 2022 में हुई गोलीबारी की घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करेगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार आयोग की ओर से जांच के लिए डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम के पहुंचने की बात कही गयी है. 19 नवंबर 2022 की रात बेनीडीह साइडिंग क्षेत्र में सीआईएसएफ की क्विक रिस्पॉंस टीम और कथित कोयला चोरों के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी. घटना में चार लोगों की मौत हुई थी और दो लोग घायल हुए थे. उस समय की रिपोर्टों में भी सीआईएसएफ और कोयला चोरी के लिए पहुंचे लोगों के बीच टकराव के बाद फायरिंग की जानकारी सामने आयी थी.

चार लोगों की हुई थी मौत, दो घायल हुए थे

गोलीबारी में प्रीतम चौहान, शहजादा खान उर्फ जलाउद्दीन, अताउल्ला अंसारी और शमीम अंसारी की मौत हुई थी. वहीं, बादल रवानी और रमेश रविदास घायल हुए थे. घटना के बाद गोलीबारी की परिस्थितियों और सीआईएसएफ की कार्रवाई को लेकर अलग-अलग सवाल उठाये गये थे.

सीआईएसएफ की ओर से उस समय कहा गया था कि जवानों पर हमला होने के बाद आत्मरक्षा में फायरिंग की गयी. दूसरी ओर, मृतकों के परिजनों की ओर से गोलीबारी की कार्रवाई पर सवाल उठाये गये थे. इसलिए मामले में सामने आये दोनों पक्षों के दावों और जांच के निष्कर्षों को अलग-अलग देखना महत्वपूर्ण होगा.

सीआईएसएफ जवानों को उपस्थित रहने का निर्देश

एनएचआरसी ने घटना की रात फायरिंग में शामिल रहे सीआईएसएफ क्विक रिस्पॉंस टीम के जवानों को बाघमारा थाने में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. इसके अलावा बाघमारा पुलिस को भी जांच प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए कहा गया है.

जांच के दौरान घटना की परिस्थितियों, फायरिंग से जुड़े तथ्यों और पहले की गयी कार्रवाई से संबंधित दस्तावेजों व उपलब्ध साक्ष्यों की भी समीक्षा किये जाने की संभावना है. एनएचआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर आयोग की जांच गतिविधियों में मौके पर जाकर जांच करने की व्यवस्था दर्ज है.

प्रीतम चौहान की पत्नी ने आयोग से की थी शिकायत

घटना के बाद जिला प्रशासन की ओर से गठित जांच टीम और मजिस्ट्रियल जांच समेत विभिन्न स्तरों पर पड़ताल की गयी थी. मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी ने इन जांचों से असंतुष्ट होकर एनएचआरसी से न्याय की गुहार लगायी थी.

सोनिया देवी का आरोप है कि घटना की रात सीआईएसएफ जवानों ने फर्जी मुठभेड़ में उनके पति और अन्य युवकों की हत्या की. यह शिकायतकर्ता का आरोप है, जिसकी पुष्टि जांच के निष्कर्ष से ही होगी. वहीं, घटना के समय सीआईएसएफ की ओर से आत्मरक्षा में फायरिंग किये जाने की बात कही गयी थी. अब आयोग की टीम के बाघमारा पहुंचने के बाद मामले से जुड़े अधिकारियों, जवानों और अन्य संबंधित पक्षों से जानकारी लिये जाने की प्रक्रिया शुरू होगी. जांच के बाद आयोग की रिपोर्ट और निष्कर्ष से ही यह स्पष्ट होगा कि घटना की परिस्थितियों और फायरिंग को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं.